भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 580

गुरूवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक)

गुजरात के सूरत में ईएसआईसी अस्पताल में कार्यकरण में सुधार के लिए उठाए गए कदम

580. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्थित ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, दवाओं की समुचित और पर्याप्त आपूर्ति और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आवश्यक स्थान की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार के सहयोग से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गुजरात में मंत्रालय द्वारा कितने औषधालय और अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं और अधिकतम श्रमिकों को ईएसआईसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने और राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार के सहयोग से क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, ईएसआई अस्पतालों में आधुनिक तकनीकों को शामिल करके इन-हाउस स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशलिटी सेवाओं को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। गुजरात में, दिनांक 30.06.2025 तक की स्थिति अनुसार, 11 ईएसआई अस्पताल और 102 ईएसआई डिस्पेंसरी और 03 डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) सक्रिय हैं। 11 ईएसआई अस्पतालों में से 04 अस्पताल (अंकलेश्वर, बापूनगर, नरोदा और वापी) सीधे ईएसआईसी द्वारा संचालित किए जाते हैं और शेष 07 अस्पताल और 102 औषधालय ईएसआई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं।

ईएसआईसी, सूरत, गुजरात सहित सभी ईएसआईसी अस्पतालों में दवाओं की समुचित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित और विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का पालन करता है। इसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

जारी-2/---

(i) केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर खुली ई-निविदा के माध्यम से ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा तैयार दर संविदा (आरसी) के माध्यम से केंद्रीकृत दवा खरीददारी करना। वर्तमान में, 995 दवाओं को कवर करने वाले 16 डीजी ईएसआईसी दर अनुबंध लागू हैं।

(ii) औषधि क्रय नीति के अंतर्गत सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से सीपीएसई से खरीद (लगभग 140 दवाएँ) हैं। जो दवाएँ जेम (जीईएम) पर उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा अधिकृत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से खरीदा जाता है।

ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और चिकित्सा सुविधाओं के कवरेज को अधिकतम करने के लिए गुजरात में 03 नए अस्पताल अर्थात् साणंद (अहमदाबाद जिला), हलोल (पंचमहल जिला) और सावली (वडोदरा जिला) और 17 नई डिस्पेंसरियों को मंजूरी दी है।

*****

अनुबंध

"गुजरात के सूरत में ईएसआईसी अस्पताल के कामकाज में सुधार" के संबंध में श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे गए राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 580 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

गुजरात में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार के सहयोग से उठाए गए कदम

1. मानदंडों और बीमित व्यक्ति (आईपी) की संख्या के आधार पर, ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य भर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और चिकित्सा सुविधाओं के कवरेज को अधिकतम करने के लिए गुजरात में 3 नए अस्पतालों की स्थापना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। गुजरात में नए स्वीकृत अस्पतालों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र .सं .	**स्थिति**	**स्वीकृत बेड**
1	साणंद, अहमदाबाद जिला	350 (500 बेड तक अपग्रेड करने योग्य)
2	हलोल, पंचमहल जिला	100
3	सावली, वडोदरा जिला	100

2. इसके अलावा, मानदंडों के आधार पर, ईएसआईसी ने गुजरात में **17** नए औषधालयों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है ताकि राज्य में अधिक से अधिक ईएसआई लाभार्थियों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। ये सेवाएँ स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं।

3. आंतरिक सेवाओं के विकास के लिए, दिशानिर्देशों के अनुसार ईएसआईसी अस्पतालों में आईसीयू/एचडीयू सुविधाएं और कीमोथेरेपी इकाइयां स्थापित की जाती हैं और अस्पताल द्वारा सेवाओं की आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है।

4. ओपीडी पंजीकरण के लिए एएए+ ऐप: इसके द्वारा पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, प्रतीक्षा समय को कम करने और रोगी सुविधा को बढ़ाने के लिए ओपीडी हेतु समय लेने के लिए स्वयं पंजीकरण करने हेतु बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप का उन्नयन करना।

5. ईएसआईसी अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए सभी संबंधितों को दिशानिर्देश

भेज दिए गए हैं।

6. ईएसआईसी संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 15.12.2023 को आयोजित 192वीं निगम बैठक में ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए नए मानव संसाधन मानदंडों को मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के सभी डीआईएमएस को मानव संसाधन मानदंड प्रचालित किए गए हैं, इससे आंतरिक चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

7. ईएसआईसी ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ भी सहयोग किया है ताकि देश में, जहां ईएसआई चिकित्सा सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहां पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

8. ईएसआईसी ने गैर-कार्यान्वित, आंशिक रूप से कार्यान्वित जिलों और सुवधिा रहित क्षेत्रों या पर्याप्त ईएसआई/ईएसआईसी डिस्पेंसरियों या अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं की कमी वाले क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल के लिए राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएचसी/सीएचसी नीति को मंजूरी दे दी है।

9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य सरकार को प्रति वर्ष प्रति बीमित व्यक्ति को अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 200 रुपए प्रदान करता है, जहां विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य संचालित ईएसआईएस अस्पतालों में बेडो की उपलब्धता 70% से अधिक रही हो।

10. राज्यों की मांग पर नई सेवाओं को जोड़कर और उपकरणों की खरीद आदि के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए राज्य ईएसआई योजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के तहत अतिरिक्त बजट का आवंटन स्वीकृत किया गया है।

11. देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) की चिकित्सा सेवा प्रदायगी प्रणाली को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए सामान्य सहायता मिशन लागू किया गया है।

12. गुजरात सरकार के सहयोग से राज्य में ईएसआई द्वारा नियमित आधार पर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और सुविधा समागम का आयोजन किया जा रहा है।